


21/8/18
उपस्थित/कार्यवाही/दिनांक/का.प्र.सं. 14/8/18 को देखा
8 नवंबर को नामांकन दिनांक 14/8/18 को देखा

3

14/8/18 परावृत्त पर हूँ आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य अचकाज में आया परावृत्त
है। आ. परावृत्त दिनांक 29.8.18 को देखा

~~29/8/18 परावृत्त के 28/8/18 को देखा~~
~~नामांकन के 20.9.18 को देखा~~

20.9.18 वकूला उपखण्ड का.प्र.सं. 172/08 सिद्धपुर
वनाय जो नामांकन के बारे में जानकारी दे रही 15.3.18
की रूप में माननीय संपन्न रूप में परिपक्व
आती है परावृत्त जारी नामांकन पर
कहें है कि नामांकन के लिए नामांकन
परावृत्त दिनांक 11.10.18 को देखा



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

11.10.18 वकूला उपखण्ड परावृत्त की कहें
रही गई। परावृत्त का अवलोकन किया गया
उपखण्ड के 20 नामांकन का नामांकन के दिनांक
15.3.18 को जानकारी दे रही जारी की गई है। मूल

T.J. 130/08
लिखित/का.प्र.
वनाय
उपखण्ड का.प्र.




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.....

T.S. ज.प. 130/08 लिखनचण्ड/गोत्रायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>वाद के ऊपरी छेब के मूल वाद की पत्रावली मानकीन न्यायालय वाणस्व ऊपरी अधिकारी नागौर के यद्ये अदित की गई है। कहतल शारी का ऊपरी अतिरिक्त निर्णय दिदी यादिए होना शेष है, परतकालन केवत वादू विदी उक्तर के वादकाल शारी को हाजनाकरिए कही कते इतके लिए पदलापन जो जाफरिए ने पारिद किया जाना आवश्यक है। ऊर इत न्यायालय डाय जारी अतिरिक्त ऊस्वारी निवेद्याशा दिनांक 04.06.07 को ता फिलदा वाद पुस्तक किया जाता है। पत्रावली केवल शुमा देकर दारिल दफ्तल है।</p> <p style="text-align: right;">ऊरिय ऊज दिनांक 11/10/18 को</p> <p style="text-align: right;">ले इजलास कुचामन जमान</p>	

()
(वाकूजी ल पार R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (नागौर)

